न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 01/2023 **तारीख रजू:–07.07.2023**

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. श्योनारायण पुत्र स्व0 कन्हैया मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रामावतार पुत्र स्व0 कन्हैया मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. हनुमान पुत्र स्व0 कन्हैया मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. रामराय पुत्र स्व0 कन्हैया मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. रामसहाय पुत्र लादू मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. मु0 धन्नी बेवा लादू मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

उपस्थित::–

प्रार्थीगण वकील:–श्री लोकेश कुमार सीठा एडवोकेट

अप्रार्थीगण वकील:–श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–30.08.2024

डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन पत्र अधीन आदेश 21 नियम 11 सी0पी0सी0

–: निर्णय :–

1. प्रार्थीगणों का प्रार्थना संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता कन्हैया पुत्र हीरा मीना द्वारा दिनांक 28.06.2003 को न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर में एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के विरूद्ध नंबरी 26/2003 प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश फरमाये गये थे एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 30.04.2005 को राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक फरमाया गया था तथा उसी दिन न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा इसका निर्णय कर डिक्री फरमाते हुए ग्राम मुरलीमनोहरपुरा की आराजी खसरा नंबर 49 रकबा 0.08 है0 का वादी को तथा खसरा नंबर 40 रकबा 0.06 है0 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया [illegible] रकबा 0.08 है0 जो कि प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 की खातेदारी [illegible] उसको दुरूस्त कर वादी की खातेदारी में दर्ज करने [illegible] 0.06 है0 की खातेदारी जो वादी के नाम दर्ज थी को [illegible] के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये गये हैं। प्रार्थीगण के पिता वादी इस निर्णय के करीब दो–ढाई माह बाद ही फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया तथा देशी व अंग्रेजी ईलाज कराने के उपरान्त भी ठीक नहीं हो पाया एवं दिनांक 26.09.2013 को उसका देहांत हो गया। प्रार्थीगण उसके बतौर पुत्रगण वारिस हैं तथा उसकी समस्त चल व अचल स्मपत्ति पर काबिज चले आ रहे तथा उसके स्थान पर प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता कन्हैया द्वारा बीमारी के कारण डिक्री की इजराय नहीं कराई जा सकी। उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण को इस दावे के चलने एवं निर्णय होने की जानकारी नहीं थी, इस कारण प्रार्थीगण भी इजराय की कार्यवाही नहीं करा सके। दिनांक 11.06.2023 को जब मृतक कन्हैया का बक्सा संभाला तो इस दावे की पत्रावली मिली, जिसे पहले यह दावा चलने व निर्णित होने की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीगण ने निर्णय व डिक्री एवं अन्य कागजात की नकले निकलवाने हेतु दिनांक 13.06.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश करवाया। जिस पर दिनांक 14.06.2023 को नकले प्राप्त हुई तथा वकील साहब से सम्पर्क कर आज यह इजराय पेश करवाई। प्रार्थीगण के पिता कन्हैया की बीमारी के कारण इजराय पेश नहीं कर सके थे एवं प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार इस निर्णय की डिक्री की जानकारी न होने के कारण प्रार्थीगण इजराय पेश नहीं कर सके, जो कि देरी का बोनाफाईड कारण है तथा माफ किये जाने योग्य है। इस हेतु इजराय के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2005 के कियान्वयन फरमाते हुए उसके अनुसरण में ग्राम भुरलीमनोहरपुरा में स्थित आराजी खसरा नंबर 49 रकबा 0.08 है0 को दुरूस्त कर वादी कन्हैया/उसके पुत्रगण प्रार्थीगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कराने एवं आराजी खसरा नंबर 40 रकबा 0.06 है0 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नमा दर्ज करने हेतु तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश फरमाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने न्यायालय में अपना जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण डिक्रीदार ने इजराय प्रार्थना पत्र काफी विलंब से प्रस्तुत किया है इसलिये इजराय प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण जिस तथाकथित डिक्री की इजराय करवाना चाहते हैं वह निर्णय एवं डिक्री ही गलत है, चूंकि जिस समय उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन था उसमें न तो विपक्षीगण की कोई तामील हुई और न ही उनको समुचित सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही दिया और प्रार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह कर निर्णय एवं डिक्री जारी करवा ली। न्यायालय को गुमराह कर डिक्री जारी करवाने की पुष्टि इस बात से होती है कि जब विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 19.01.2004 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी तो दिनांक 30.04.2005 को क्यों और किस प्रकार राजीनामा किया जा सकता था। प्रार्थीगण ने फर्जी एवं जाली तरीके से राजीनामा प्रस्तुत करवाकर डिक्री प्राप्त की है, जो विपक्षीगण के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन है। विपक्षीगण के द्वारा कथित राजीनामा नही करने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सुखदेश पुत्र हीरा की खातेदारी भूमि विपक्षी रामसहाय के पिता व धन्नी के पति लादू के नाम नामान्तकरण संख्या 887 दिनांक 18.01.1983 के द्वारा खातेदारी आने पर प्रार्थीगण के पिता कन्हैया व प्रहलाद प्रभु रामनारायण मांगीलाल पिसरान हीरा के द्वारा अपील करने पर दिनांक 10.12.1990 को नामान्तकरण संख्या 887 निरस्त होकर (REMAND) हुआ जिसकी अपील लादू के [illegible] गई जिसको दिनांक 20.02.2008 को निर्णय होकर (REMAND) [illegible] तहसीलदार साहब चौथ का बरवाडा ने दोनों पक्षों [illegible] पारित किया जिसकी अपील विपक्षीगण द्वारा [illegible] आयुक्त भरतपुर के यहां प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.11.2021 को निर्णय हुआ है और उक्त निर्णय की कही अपील नही होने पर वह अंतिम निर्णय है। इस प्रकार [illegible] सन् 1990 से विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन था तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 30.04.2005 को विपक्षीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिये कथित राजीनामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

आधार पर हुआ निर्णय एवं डिक्री शून्य एवं प्रभावहीन है। मृतक सुखदेवा की आराजीयात के संबंध में जब प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन था और माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर द्वारा दिनांक 29.11.2021 को पारित निर्णय की पालना ही नहीं हुई है तो इजराय का कोई औचित्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः इजराय प्रकरण मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. बहस बकुलाय सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान किया और बताया की प्रार्थीगण के पिता कन्हैया के पक्ष में दिनांक 30.05.2005 को डिक्रीधारी होने के बाद ही प्रार्थीगण के पिता वादी कन्हैया गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गये और दिनांक 26.09.2013 को उनका देहान्त हो गया। प्रार्थीगण के पिता द्वारा बीमारी के कारण डिक्री की इजराय उनके जीवनकाल में नहीं कराई जा सकी। प्रार्थी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण को इस दावे व निर्णय की जानकारी नहीं थी। एवं दिनांक 11.06.2023 को मृतक कन्हैया का बक्सा संभालने पर पत्रावली मिली, जिससे दावे एवं डिक्री की जानकारी हुई। इजराय प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी के उक्त कारणों को बोनाफाईड मानते हुए इनके आधार पर लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसे स्वीकार करने की प्रार्थना की एवं डिक्री की पालना कराने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की डिक्रीदार के इजराय प्रार्थना पत्र काफी विलंब से प्रस्तुत किया है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के कारण निरस्त करने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता जो कि उक्त डिक्री में वादी थे, उन्होने जानबूझकर लंबे समय तक इजराय की पालना हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। वादी कन्हैया की मृत्यु डिक्री जारी होने के 8 वर्ष से अधिक समय बाद हुई है। वादी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रार्थीगण द्वारा भी जानबूझकर अत्यन्त देरी से लगभग 10 वर्ष बाद इजराय हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसका कोई तर्कसंगत ठोस कारण नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थीगण का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इजराय प्रार्थना पत्र दोनों ही खारिज योग्य है।

5. मेंने वकील उभयपक्षों की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जिस डिक्री की पालना कराने चाहते हैं। वह उनके पिता वादी के पक्ष में दिनांक 30.04.2005 में जारी हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा इस डिक्री की पालना हेतु दिनांक 07.07.2023 को इस न्यायालय में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा उनके पिता वादी को निर्णय में डिक्री में 2–2.5 वर्ष माह बाद ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होने व कालान्तर में 26.09.2013 को बीमारी के कारण देहान्त हो जाने एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण को उक्त दावों, निर्णय/डिक्री की जानकारी नहीं होने के आधार पर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत इन बोनाफाईड कारणों की वजह से देरी को माफ करते हुए इजराय को अंदर मियाद मानने की प्रार्थना की गई है। मेरी विनम्र राय में डिक्रीदार वादी का बीमारी के कारण 8 साल तक इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त नहीं है। वादी डिक्रीदार की मृत्यु के उपरान्त भी [illegible] के पास पर्याप्त समय था। प्रार्थीगण ने 12 वर्ष की मियाद अवधि [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने का कोई ठोस, तर्कसंगत एवं [illegible] है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर लिमिटे[illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं इजराय प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने य[illegible] नहीं पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

—:आदेश:—

प्रार्थी का इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested